PV

राजस्थान सरकार

न्यायालय ... तहसीलदार ...

२०15/00083

किस्म मुकदमा	नम्बर	पेशी	
177	14/15	30.4.2015	3.5.24 (भूमि रूपान्तरण) 15/7/24 14/8/24 2/9/24 17/9/24 15/10/24 12/11/24 4/12/24 24/12/24 28/1/25 19/2/25 20/2/25 3/3/25

खारिज

3/3/24

खारिज

I T.D.R का कार्य ख० नं० 1123 रकबा 1.06 ... 0.06 बीघा पर बिना भूमि रूपान्तरण के अवैध ... बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।
II वाद में भूमि ... करवाया गया है।
III अवैध ... ... माली ... ... नहीं
IV ... ... है।

राज० सरकार जरिये तहसीलदार V/S लालीदेवी w/o लक्ष्मीनारायण माली
छीतर s/o ... माली
शंकर माली पुत्र ... ...

विपक्षीगण

पेशकार सरकार

सुमित जोशी
लक्ष्मीनारायण ... (1)
M.L. जोशी

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

आज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

TDR Bijoliya बनाम लालीदेवी

किस्म मुकदमा धारा 14/15 प्रकरण संख्या 14/15

GCMS नम्बर:– 2015/00083

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/12/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O सा दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनाक 28/1/25 को वास्ते भूमि रूपान्तरण पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
28/1/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में भूमि रूपान्तरण रिपोर्ट पेश की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस 20/2/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
20/2/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी अधिवक्ता ने विवादित आराजी 1123 की तहसीलदार बिजौलिया द्वारा रूपान्तरित रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली को खारिज करने का निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 03/03/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
03/03/25	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार एवं विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित। बाद पत्र में वर्णित आराजी आवासीय उद्देश्य में रूपान्तरित हो चुकी है। अत: पत्रावली खारिज दर्ज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

ालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 14/2015 दायर तारीख 30.04.2015

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

01. लाली देवी पत्नि श्री सत्यनारायण माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

02. छीतर पिता श्री देवी माली माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा। (मृतक)

2.1 शंम्भुलाल पिता छीतर माली निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला

2.2 संजयकुमार पिता छीतर माली निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला

2.3 बसन्तीदेवी पुत्री छीतर माली निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला

2.4 चांदबाई पत्नि छीतर माली निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला

03. शंकर, काली, पुष्पा,निर्मला माता रतनी माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादी

2. श्री लक्ष्मीनारायण सुराणा एवं श्री सुमित कुमार जोशी .....अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03/03/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार मण्डल बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 1123 रकबा 1.06 बीघा चाही उत्तम भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 1123 रकबा 1.06 बीघा भूमि में से विपक्षी द्वारा 102 गुणा 20 वर्गफीट तथा 151 गुणा 20 वर्ग फीट में दुकाने बनाकर लगभग 0.06 बीघा भूमि में बिना रूपान्तरित करवाये वाणिज्यिक के रूप में प्रयोग की जा रही है। मौका पर्चा गिरदावरी संलग्न है। ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नम्बर 1123 रकबा 1.06 बीघा किस्म चाही उत्तम में से लाली देवी पत्नी सत्यनारायण माली, शंकरलाल, काली, पुष्पा, निर्मला माता रतनी माली के हिस्से को छोड़कर शेष हिस्से में छीतर पिता देवीलाल माली द्वारा दुकानों का निर्माण कर वाणिज्यिक के रूप में प्रयोग में ली जा रही है। मौका पर्चा संलग्न है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं लिया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दिनांक 30.04.2015 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जिनको शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

ी 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मीलाल सुराणा ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया एवं विपक्षी 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमित जोशी ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया । अधिवक्ता लक्ष्मीलाल सुराणा ने प्रतिवादी 01 की ओर से जवाब पेश किया जिसमें बताया गया प्रतिवादी 01 ने किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। प्रतिवादी 01 ने अपने हिस्से में सी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। जवाब शामिल पत्रावली है। विपक्षी 02 की ओर से अधिवक्ता मेत जोशी ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

दस्तावेजी साक्ष्य/वाद पत्र मे तहसीलदार बिजौलियां ने प्रमाणित मौका री, ग्राम बिजौलियां कलां पटवार क्षेत्र बिजौलिया कलां सम्वत् 2071 से 2074 तक खाता संख्या 505 । अंकित खसरा संख्या 1123 रकबा 1.06 बीघा भूमि की जमाबंदी नकल, पेश की जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी अधिवक्ताओ द्वारा बयान विपक्षी छीतर, सेडू राम सेनी, के बयान लेखबद्ध किए गए जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी 02 के फोत होने की सूचना प्राप्त हुई। पैरोकार सरकार बिजौलियां ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मृतक के वारिसान को तामील करवाई गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मृतक के वारिसान की ओर से अधिवक्ता सुमित जोशी ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता सुमित जोशी ने बताया कि उक्त विवादित आराजी को जल्द आवासीय इकाई में भूमि रूपान्तरण करवाया जायेगा इसके लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया गया है। ऑन लाईन आवेदन की प्रति पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता ने भूमि रूपान्तरण के लिए समय चाहा। विपक्षी अधिवक्ता को जल्द भूमि रूपान्तरण के लिए निर्देशित किया गया। विपक्षी अधिवक्ता सुमित जोशी ने दिनांक 28.01.2025 को ग्राम बिजौलियां की उक्त आराजी 1123 का तहसीलदार बिजौलियां द्वारा दिनांक 31.12.2024 को चांदबाई पत्नि छीतरलाल के नाम से कृषी भूमि से आवासिय इकाई में भूमि रूपान्तरित का आदेश पेश किया जो शामिल पत्रावली है। रूपान्तरित आदेश पर पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का एतराज/ऑब्जेक्शन नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया। विपक्षी अधिवक्ता सुमित जोशी ने दिनांक 28.01.2025 को ग्राम बिजौलियां की उक्त आराजी 1123 का तहसीलदार बिजौलियां द्वारा दिनांक 31.12.2024 को चांदबाई पत्नि छीतरलाल के नाम से कृषी भूमि से आवासीय इकाई में भूमि रूपान्तरित का आदेश पेश किया जो शामिल पत्रावली है जिस का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया , भूमि को रूपान्तरित किया जा चुका है रूपान्तरित शुल्क नियमानुसार राज्य सरकार में जमा करवा दिया गया है। पत्रावली के सभी दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली में आदेश पारित ... जाते हैं कि:-

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारिज किया ...कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 505 में अंकित आराजी संख्या 1123 रकबा 1.06 बीघा किस्म चाही उत्तम भूमि को आवासीय इकाई हेतु दिनांक 31.12.2024 को कृषि से आवासीय में रूपान्तरित तहसीलदार बिजौलियां द्वारा किया जा चुका है। जिसके लिए नियमानुसार शुल्क भी राज्य सरकार में जमा करवा दिया गया है। **अतः वाद पत्र खारिज/निरस्त किया जाता है** । डिकी मूर्तिब हो। तहसीलदार बिजौलियां को सूचनार्थ तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03/03/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 14/2015 दायर तारीख 30.04.2015

अनवान्

1. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

01. लाली देवी पत्नि श्री सत्यनारायण माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
02. छीतर पिता श्री देवी माली माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा। (मृतक)
    2.1 शंम्भुलाल पिता छीतर माली निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला
    2.2 संजयकुमार पिता छीतर माली निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला
    2.3 बसन्तीदेवी पुत्री छीतर माली निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला
    2.4 चांदबाई पत्नि छीतर माली निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला
03. शंकर, काली, पुष्पा,निर्मला माता रतनी माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।

........मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....डिक्रीदार।
2. श्री लक्ष्मीनारायण सुराणा एवं श्री सुमित कुमार जोशी .....मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 03/03/2025

डिक्री दिनांक 03/03/2025

–:डिक्री:–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता सुमित जोशी एंव लक्ष्मीलाल सुराणा उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारिज किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 505 में अंकित आराजी संख्या 1123 रकबा 1.06 बीघा किस्म चाही उत्तम भूमि को आवासीय इकाई हेतु दिनांक 31.12.2024 को कृषि से आवासीय में रूपान्तरित तहसीलदार बिजौलियां द्वारा किया जा चुका है। जिसके लिए नियमानुसार शुल्क भी राज्य सरकार में जमा करवा दिया गया है। **अतः वाद पत्र खारिज/निरस्त किया जाता है** । डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

.........Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत .... Nil .....

त मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीसा दी सालाना आज की तारीख

ख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 03 वर्ष 2025 को जारी

गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
म्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
ाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
हनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बावत् इजराय हुक्मनामा			बावत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां